FORM NO. III.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,

बिरदीचन्द बनाम : बंशीलाल

किस्त मुकदमा वाद मु. नम्बर 26 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06/2/25	प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित न्यायालय होकर एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा में पक्षकारान् के मध्य में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आज तारीख पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय रिपोर्ट ली गई, कार्यालय रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वर्तमान में की जवाब प्रतिवादी नं. 1 के स्तर पर लम्बित चल रहा है तथा प्रकरण में सुनवाई के लिए तारीख पेशी 25.03.2025 नियत है। प्रार्थीगण ने स्वयं ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता के हस्तगत प्रकरण को जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। अतः प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 88,188 राज.का.अधि. 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 6/2/25 (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	बिरदीचन्द शर्मा अ. रघु शर्मा छोटूलाल शर्मा गणेश नारायण किशन गोपाल रतनी देवी

वकील प्रति [illegible]